

विषय :- दिनांक 10 जुलाई, 2017 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कार्यवाही विवरण।

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण की अध्यक्षता में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु **दिनांक 10 जुलाई, 2017 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग** का आयोजन किया गया। संलग्न प्रेजेंटेशन के माध्यम से निम्न बिंदुओं पर चर्चा कर जिला अधिकारियों को निर्देश दिये गये :-

1. डिजीटल सिग्नेचर फाईल को पुनः अपलोड/अपडेट

- जिला बालाघाट, बडवानी, भिण्ड, छतरपुर, छिंदवाड़ा, देवास, धार, ग्वालियर, खरगौन, मंदसौर, मुरैना, नीमच, रतलाम, देवास, शहडोल, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी एवं टीकमगढ़ के कुल 37 स्थानीय निकायों के डिजीटल सिग्नेचर को पुनः पेंशन पोर्टल पर अपलोड/अपडेट किया जाना है।

2. माह जून, 2017 पेंशन वितरण की स्थिति

- जिला होशंगाबाद, बालाघाट, सिवनी, दमोह, श्योपुर, हरदा, गुना, बडवानी, अशोकनगर, सीधी, खरगौन, उज्जैन, मण्डला, रायसेन, सतना, शहडोल एवं छतरपुर द्वारा कुल EPO की तुलना में कम EPO जनरेट किये गये। जून माह के पेंशन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

3. टेस्ट पेंशन योजना अंतर्गत असफल भुगतान पर कार्यवाही

- टेस्ट पेंशन योजना अंतर्गत 1,04,330 हितग्राहियों के खाते रिजेक्ट किये गये हैं। बैंक द्वारा रिजेक्ट किये गये बचत खाता नम्बर को अपडेट करने की कार्यवाही की जाना है। जिसमें बैंक बचत खाता नम्बर व आई.एफ. एस. कोर्ड को त्रुटिरहित करें। बैंक द्वारा रिजेक्ट किये गये बचत खाता नम्बर को अपडेट करने की प्रक्रिया व पुनः ई.पी.ओ. भेजने की प्रक्रिया पत्र के साथ पेंशन पोर्टल पर उपलब्ध है।

4. पेंशन योजना हेतु संभावित पात्र व्यक्तियों की प्रगति रिपोर्ट

- जिला राजगढ़, मंदसौर, ग्वालियर, जबलपुर, विदिशा, सागर, शहडोल, भोपाल, सीहोर, पन्ना, भिण्ड, अलिराजपुर द्वारा विगत एक सप्ताह में

लगभग एक हजार से अधिक डी-डुप्लिकेशन की कार्यवाही की गई। शेष जिलों से कार्यवाही अपेक्षित।

- सभी जिलों में संभावित पेंशन पात्रता सूची पर कार्य करने की जरूरत है, प्रति सप्ताह प्रगति की समीक्षा कलेक्टर स्तर पर अवगत करावे। निकायवार समीक्षा हेतु रिपोर्ट समग्र पेंशन पोर्टल पर पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध कराई गई है।
- पेंशन पात्रता/अपात्रता हेतु लिंग, आयु, विवाह, बीपीएल, निःशक्तता इत्यादि एसपीआर/बीपीएल/स्पर्श इत्यादि पोर्टल पर सुधारे।

5. आधार सीडिंग

- जिला टीकमगढ़, उमरिया, सीधी, रीवा, भिण्ड, सीहोर, सतना, छतरपुर, सिंगरौली, मुरैना, झाबुआ, रायसेन, शिवपुरी, ग्वालियर, भोपाल, गुना एवं पन्ना हितग्राहियों के बचत बैंक खाता नम्बर को आधार से लिंक किये जाने की कार्यवाही संतोषजनक नहीं है। समस्त पेंशन हितग्राहियों के बचत खाता नम्बर को आधार नम्बर से लिंक करने की कार्यवाही की जाये।

6. निःशक्त व्यक्तियों का सत्यापन एवं लाभ

6.1 यूडीआईडी कार्ड

- सिंगरौली, शाजापुर, सागर, बुरहानपुर, सतना, गुना, होशंगाबाद, रायसेन, हरदा, खण्डवा, शहडोल, श्योपुर, बडवानी, देवास, ग्वालियर, मंदसौर, अनूपपुर, झाबुआ, रतलाम, आगर मालवा एवं दमोह की प्रगति अत्यंत कम, सुधारे।

6.2 कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरण

- जिला सिंगरौली, शाजापुर, सतना, खण्डवा, श्योपुर, बडवानी, देवास, रतलाम, आगर मालवा, दमोह, उमरिया, अलिराजपुर, नीमच, खरगौन, शिवपुरी, सीहोर, सीधी, मण्डला, नरसिंहपुर, धार, बैतूल एवं टीकमगढ़ जिलों द्वारा कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरण की जानकारी sparsh.samagra.gov.in पोर्टल पर इंद्राज नहीं की है। शेष जिलों की प्रगति भी संतोषजनक नहीं है।

- समस्त जिले कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरण की जानकारी sparsh.samagra.gov.in पोर्टल पर इंद्राज करें साथ ही 24 कॉलम की जानकारी संचालनालय में भी भेजना सुनिश्चित करें।

6.3 एडिप एवं डी.डी.आर.सी प्रस्ताव वर्ष 2017-18

- भारत सरकार की एडिप योजना अंतर्गत वर्ष 2017-18 हेतु जिला सीहोर, झाबुआ, दतिया से प्रस्ताव प्राप्त। शेष जिलों से अप्राप्त।
- इसी प्रकार डी.डी.आर.सी. अंतर्गत वर्ष 2017-18 हेतु जिला सीहोर, झाबुआ, देवास, दतिया, छिंदवाडा से प्रस्ताव प्राप्त। शेष जिलों से अप्राप्त।
- समस्त जिलें यथाशीघ्र प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित करें।

6.4 सिपडा

- सिपडा योजना अंतर्गत जिला हरदा, होशंगाबाद, मंदसौर, रायसेन, सागर, सतना, सीहोर, शहडोल, शाजापुर, सीधी, टीकमगढ के उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्राप्त।
- कलेक्टर स्तर पर इसकी साप्ताहिक समीक्षा कर 31 जुलाई, 2017 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे।

6.5 निराश्रित निधि

- जिला कटनी, बालाघाट, सिवनी, बैतूल, राजगढ, नरसिंहपुर, मण्डला, सीधी, धार, शहडोल, हरदा, सतना, अनुपपुर एवं सिंगरौली द्वारा राज्य निराश्रित निधि वर्ष 2016-17 का 20 प्रतिशत अंशदान अप्राप्त। राज्य निराश्रित निधि हेतु 20 प्रतिशत का अंशदान तत्काल प्रेषित करें।
- जिला जबलपुर, बैतूल, अशोकनगर, नरसिंहपुर, मण्डला, सीधी, डिण्डौरी, शिवपुरी, धार, नीमच, अलीराजपुर, छतरपुर, रतलाम, मण्डला, दमोह, बडवानी, शहडोल, हरदा, गुना, बुरहानपुर, सतना, सागर, अनुपपुर, शाजापुर एवं सिंगरौली से वर्ष 3/2016 की निराश्रित निधि की ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त। यदि ऑडिट होना शेष है तो बैंक रिकन्साईलेशन की जानकारी भेजी जाये।

6.6 प्री/पोस्ट मेट्रिक एवं टॉप क्लास छात्रवृत्ति हेतु नवीनीकरण व आवेदन

- राष्ट्रीय प्री/पोस्ट मेट्रिक एवं टॉप क्लास छात्रवृत्ति हेतु नवीनीकरण की अंतिम तारीख 30 जुलाई, 2017 है। प्री/पोस्ट मेट्रिक में वर्ष 2016-17 में सत्यापित सभी आवेदनों का नवीनीकरण अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें।
- इसी प्रकार प्री मेट्रिक के आवेदन हेतु 30 सितम्बर एवं पोस्ट मेट्रिक व टॉप क्लास के आवेदन हेतु 31 अक्टूबर, 2017 अंतिम तारीख निर्धारित की गई है। समस्त जिलों अंतिम दिनांक से पूर्व आवेदन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावे।

6.7 निःशक्त शिक्षा (राज्य स्तर)

- निःशक्त शिक्षा योजना के अंतर्गत लेपटाप, मोट्रेट ट्रायसाईकिल, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत प्रदाय लाभों की जानकारी sparsh.samagra.gov.in पोर्टल पर इंद्राज करें साथ ही हार्ड कॉपी संचालनालय में भी भेजना सुनिश्चित करें।

6.8 नेशनल ट्रस्ट की योजनाएं

- नेशनल ट्रस्ट की योजनाओं के अंतर्गत जिला बैतूल, भिण्ड, भोपाल, छिंदवाडा, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, कटनी, खण्डवा, नरसिंहपुर, रायसेन, रतलाम, रीवा, सागर, सिंगरौली एवं उज्जैन से प्रस्ताव प्रेषित किये गये। शेष जिलों द्वारा कार्यवाही की जाना है।

7. भारत सरकार के प्रस्ताव की स्थिति (सुधारात्मक सेवा/नशामुक्ति)

- सुधारात्मक सेवा अंतर्गत जिला छिंदवाडा, भिण्ड, बैतूल, पन्ना, विदिशा, अशोकनगर, रीवा, इंदौर, झाबुआ, शिवपुर, खण्डवा, ग्वालियर, सतना, सागर, शाजापुर से वृद्धाश्रम एवं भारत सरकार की अन्य योजना अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त। शेष से अप्राप्त।
- नशामुक्ति योजना अंतर्गत जिला जबलपुर, छिंदवाडा, भिण्ड, भोपाल, सीहोर, उज्जैन, इंदौर, खण्डवा एवं ग्वालियर से प्रस्ताव प्राप्त। शेष से अप्राप्त।

8. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

- जिला अशोकनगर, बडवानी, बुरहानपुर, दतिया, देवास, आगर मालवा, भिण्ड, डिण्डौरी, मण्डला एवं श्योपुर द्वारा समग्र विवाह पोर्टल पर सत्यापित करने का कार्य विगत एक सप्ताह में नहीं किया गया है।
- समस्त जिलें समग्र विवाह पोर्टल पर लाभान्वितों का पंजीयन व सत्यापन सुनिश्चित करें। यह कार्य न होने पर आबंटन नहीं दिया जा सकेगा। अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये।

9. सी.एम. हेल्पलाइन

- लेवल 4 पर अधिकतम लंबित शिकायतों वाले 10 जिले क्रमशः सागर-255, सतना-239, सीधी-184, रीवा-183, मुरैना-168, राजगढ़-159, शहडोल-124, उज्जैन-122, छतरपुर-117, सिंगरौली-116 एवं सीहोर-108 हैं।
- उपरोक्त समस्त जिलों विगत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी सर्वाधिक लंबित शिकायतों वाले जिले थे, जिसपर प्रमुख सचिव द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई।
- प्रत्येक लेवल पर समय-सीमा में शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिये, जिससे शिकायते लेवल-4 तक न पहुंचे।

10. सामाजिक सहायता योजना

- यदि किसी ऐसे व्यक्ति के मृत्यु होती है, जो घर का कमाऊ सदस्य है, तो उस पर आश्रित परिवार के सदस्यों को पत्रातानुसार राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के लाभ के साथ-साथ पेंशन, बीमा, अंत्येष्टि आदि का लाभ भी प्रदाय किये जाना चाहिए। इस प्रकार के प्रकरणों पर ध्यान दिया जाकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

11. आम आदमी/जनश्री बीमा योजना

- आम आदमी/जनश्री बीमा योजना अंतर्गत पंजीयन हेतु चिन्हांकन एवं सत्यापन की कार्यवाही beema.samagra.gov.in पोर्टल पर की जाये।
- चिन्हांकन एवं सत्यापन की कार्यवाही हेतु विस्तृत प्रक्रिया व रिपोर्ट पोर्टल पर है।

12. तकनीकी समाधान एवं सुझाव

तकनीकी समस्या होने पर सर्वप्रथम अपने जिले के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. व जिला ई-गवर्नेंस मैनेजर से संपर्क करें। समस्याओं के समाधान व सुझाव हेतु समस्या का विस्तृत लेख कर भेजने वाले का नाम व मोबाइल नम्बर की जानकारी संचालनालय की ई-मेल (md.samagra@mp.gov.in, mdcmsssm@gmail.com) पर मेल करें या दूरभाष नम्बर 0755-2555700 पर भी संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

14. अन्य बिन्दु

जैसा की विदित है विभागीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माह के प्रत्येक सोमवार को आयोजित की जा रही है, अतः समस्त विभागीय/प्रभारी अधिकारी उक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लेना सुनिश्चित करें। संचालनालय के प्रभारी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के पूर्व यह सुनिश्चित करें कि उनके संभाग के समस्त विभागीय/प्रभारी अधिकारी उपस्थित रहें।

धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

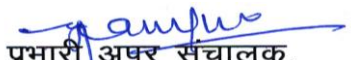
(कार्यवाही विवरण प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा अनुमोदित)


प्रभारी अपर संचालक,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/समग्र/2017/56/425
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 13/07/2017

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त संभागीय आयुक्त मध्यप्रदेश।
3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
4. समस्त आयुक्त, नगर निगम म.प्र.।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत म.प्र.।
6. समस्त अपर/संयुक्त/उप/सहायक संचालक मुख्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. श्री सुनील जैन तकनीकी संचालक, एन.आई.सी. भोपाल म.प्र.।
8. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत म.प्र.।
10. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद म.प्र.।


प्रभारी अपर संचालक,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण, मध्यप्रदेश